न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी :: श्री अंश दीप आई.ए.एस.

राजस्व अपील:: 38/2019 ::
जीसीएमएस नम्बर :: 2019/00354

अपीलांट :–	बनाम	रेस्पोडेन्ट :–
आनन्दी पत्नी बाबुलाल जाति विश्नोई, निवासी दलपतगढ़, तहसील रोहट, जिला पाली		राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार रोहट, जिला पाली

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री दौलत मकवाना
रेस्पोडेन्ट की ओर से सरकारी पैरोकार सुरेन्द्र सिंह लबाना

–:: नि र्ण य ::–

दिनांक :– 12/8/24

अधिवक्ता अपीलांट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध तहसीलदार रोहट के आदेश दिनांक 10.03.2011 को राजस्व विविध प्रकरण संख्या 1361/2011 सरकार बनाम आनंदी में पारित निर्णय को निरस्त कराने हेतु प्रस्तुत की गई थी। इस न्यायालय के प्रकरण संख्या 45/2011 दर्ज कर अपील बाद सुनवाई खारिज दिनांक 21.02.2013 को की गई थी तथा उसकी अपील अपीलांट द्वारा राजस्व अपील अधिकारी पाली के न्यायालय में अपील संख्या 08/2013 आनन्दी बनाम तहसीलदार रोहट में पारित आदेश दिनांक 30.11.2016 के इस न्यायालय के निर्णय को अपास्त करते हुए प्रकरण पुनः प्रतिप्रेषित कर पुनः गुणावगुण पर निर्णय लेने हेतु निर्देशित किया गया। इस पर प्रकरण संख्या 38/2019 पुनः इस न्यायालय में दर्ज किया गया उभयपक्ष को तलब किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया एवं बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने वक्त बहस कथन किया कि जैर अपील आराजी अपीलांट की खरीदसुदा आवासीय भूमी है उक्त भूमी का सर्वप्रथम ग्राम पंचायत रोहट द्वारा पट्टा संख्या 2121 प्रस्ताव संख्या 02 दिनांक 20.03.1998 के आधार पर अयुब खां पुत्र याकूब खां निवासी रोहट के पक्ष में जारी किया गया अपीलांट द्वारा उक्त भूमी जरिये रजिस्टर्ड दस्तावेज दिनांक 14.07.2008 के क्रय की है एवं तब से अपीलांट बतौर खरीददार उक्त आवासीय भूमी का उपयोग, उपभोग कर रहा है। तथा उक्त भूमी के चारों तरफ परकोटा बना रखा है। उक्त भूमी के आवासीय प्रयोजनार्थ जारी पट्टा बाबत एक पंचायत निगरानी इसी न्यायालय से निगरानी क्रमांक 62/2017 दर्ज हुई थी जिसमें निर्णय दिनांक 15.7.2019 के द्वारा पट्टा संख्या 2121 जो ग्राम पंचायत रोहट की मिसल संख्या 22/1997–98 प्रस्ताव संख्या 02 दिनांक 20.03.1998 की पालना में जारी पट्टे यथावत रखा गया था। उक्त भूमी को सरकारी रिवायचक भूमी नहीं माना गया था एवं आवासीय भूमी मानते हुए पट्टा 2121 ग्राम पंचायत रोहट को यथावत रखा गया था ऐसी स्थिति में बेदखली के आदेश पारित किया जाना विधिसम्मत नहीं है क्योंकि ऐसा करना एक ही न्यायालय द्वारा अलग–अलग मत अनुसार पृथक से बेदेखली करने बाबत विरोधाभाषी निर्णय पारित किया जाना विधिसम्मत नहीं है। उक्त भूमी उद्योग विभाग की है तो उक्त विभाग ही भूमी रिक्त कराने का दावा सक्षम न्यायालय में ला सकता है इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं है इस न्यायालय द्वारा एक ही प्रकरण में अलग–अलग फाईन्डिंग देना भी विधिसम्मत नहीं है अपने तर्को की ताईद में वकील अपीलांट द्वारा न्यायिक दृष्टांत 2006 आरबीजे पेज 291, 2002 आरबीजे पेज 518 राजस्थान हाई कोर्ट पेश किए। उपरोक्त समस्त तथ्यों के मध्यनजर अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश को निरस्त किया जावे।

सरकारी पैरोकार ने वक्त बहस कथन किया कि अपीलांट द्वारा अतिक्रमण सरकारी भूमी में किया है इसलिए तहसीलदार द्वारा की गई कार्यवाही विधिसम्मत होने से अपीलार्थी निर्णय यथावत रखा जावे।

बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दृष्टांतो का ससम्मान अवलोकन किया गया। उक्त प्रकरण में न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी पाली के निर्णयानुसार निम्नानुसार विचारणीय बिन्दु है :–

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Rath
Date: 2022.01.22 11:38:18 IST
Reason: Self Attested

जिला कलेक्टर, पाली

क्रमश.....2

1. प्रकरण में तहसीलदार द्वारा धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही तहसीलदार के क्षेत्राधिकार में है या नहीं।
2. ग्राम पंचायत द्वारा जो पट्टा जारी किया गया वह नजूल आबादी भूमी में जारी किया गया अथवा नहीं।
3. तहसीलदार रोहट द्वारा धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही करना विधि अनुरूप है या विधिविरूद्ध।

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 103 के (Sub clause) क में वर्णित बिन्दु संख्या 1 से 7 सरकारी भूमियां है तथा उसके Sub clause ख में आबादी भूमी किस प्रकार की भूमी को माना है इस का उल्लेख किया गया है। तद्नुसार ही सरकारी विभाग की भूमी को राजकीय भूमी माना गया है तथा इस संदर्भ में तहसीलदार रोहट उक्त राजकीय भूमी से किसी भी कब्जाधारी को बेदखल करने में सक्षम है। इस प्रकार तहसीलदार रोहट ने उक्त बेदखली कार्यवाही की जो विधीसम्मत है। एवं तहसीलदार बेदखली की कार्यवाही करने में नियमानुसार सक्षम है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार रोहट द्वारा की गई बेदखली की कार्यवाही भी उनके क्षेत्राधिकार के बाहर माना जाना न्यायोचित नहीं है।

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 140 के अनुसार "आबादी भूमि से किसी पंचायत सर्किल के बसे हुए क्षेत्रों के भीतर पड़ने वाली नजूल भूमि अभिप्रेत है, जो राज्य सरकार के किसी आदेश के द्वारा या अधीन किसी पंचायत में निहित हो या निहित की गई हो या उसके निर्वर्तनाधीन रखी गई हो।" इस प्रकार पंचायत नूजूल आबादी भूमी में ही विक्रय विलेख जारी करने का अधिकार रखती है। यदि यह प्रमाणित हो कि पंचायत ने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर पट्टा जारी किया है जो राजकीय/सिवायचक भूमी पर है उक्त भूमी नूजूल आबादी भूमी ही नहीं है ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति जिसके हक में अवैध पट्टा जारी किया गया है वह राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 5(7) खण्ड 44(क) के अनुसार अतिचारी है। इसमें तहसीलदार नियमानुसार धारा 91 के तहत कार्यवाही करने में सक्षम है। ग्राम पंचायत अथवा अन्य अधिकारी/उद्योग विभाग को नियमानुसार पट्टा को भी चुनौती देकर खारिज कराना चाहिए परंतु उसमें तहसीलदार द्वारा निर्णित प्रकरण में कोई विधिक भूल या प्रक्रियात्मक त्रुटि नहीं हैं।

परिणामस्वरूप अपील अपीलांट अस्वीकार की जाती है तथा तहसीलदार रोहट द्वारा प्रकरण संख्या 1361/2011 सरकार बनाम आन्नदी में पारित निर्णय दिनांक 10.3.2011 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 12/8/21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

(अंश दीप)
जिला कलेक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2022.01.22 11:38:18 IST
Reason: SelfAttested